


तारीख
वृत्त

पुस्तक कार्यवाही मय इनिशियल जज

11/08/25

पञ्जावली मय पेश हुये। वहील डापी इफरिजा
विजाकीकत मनुमसिधता विजाकीकत को
कोई सामन है कीन वार कीन-कीन मयके
दिलारे गरी। वावमस मयके दिलारे के
विजाकीकत मनुमसिधता मः विजाकीकत
के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही भी जारी
है वहील डापी के पञ्जावली पर वदक
हुने गरी मयके मला के खिलाफ
जाकर हुने न्यायालय हुमला मयग।
मयके भी पालनावी तदवीर जारी हो पालना
जाफ होने पर मामिले पञ्जावली की जीवा
पञ्जावली विवाह हुमा हुकर दरिले ल
इफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी, गुडामालाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

संख्या: 91/2023

प्रार्थीगण :-

1. केवलाजी पुत्र टीलाजी
जाति माली निवासी मोरसीम तहसील बागोडा जिला जालौर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. प्रभुराम पुत्र नाथाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. लीला पुत्र होतीराम जाति रबारी निवासी सोढों की ढाणी
3. अजराराम पुत्र छगनाराम
4. कलाराम पुत्र अमराराम
5. खुशाला पुत्र ताराराम फौत के कायम मुकाम :-
5/1 गणपत पुत्र खुशाला
5/2 शंकराराम पुत्र खुशाला
6. जबराराम पुत्र छगनाराम
7. तेजाराम पुत्र अमराराम
8. तलछी पत्नी अमराराम
9. तिलोका पुत्र तारा
10. मोहन पुत्र अमरा
11. सांवलाराम पुत्र अमराराम
जाति माली निवासी मोरसीम तहसील बागोडा जिला जालौर
12. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

--:: आदेश ::--

दिनांक :- 11.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 547/2 रकबा 0.0647 हैक्टयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 547/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/08/99 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी साई कलबी) की
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद/2023/ 899

प्रार्थीगण

केवलाजी

बनाम

दिनांक : 11/08/23

विप्रार्थीगण

प्रभुराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं.....91/2023..

निर्णय दिनांक :- 11.08.2023


--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 547/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये1000/-...प्रार्थीगण अदा करेंगे।


उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक: वाद/2023/ 900-905
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा।
4. हल्का पटवारी....रतनपुरा. को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.....केवलाजी पुत्र टीलाजी
6. विप्रार्थीगण.....प्रभुराम वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 11/08/23


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी